



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जशपुर वनमण्डल जशपुर(छ0ग0)

दूरभाष क्र० : (07763) 223225 (व), फैक्स (07763) 220998, निवास (07763) 223224, (07763) 203051

E-mail Address - dfojsp@gmail.com

क्र०/मा०चि०/2018/ 10089
प्रति,

जशपुर, दिनांक/ 14/11/2018

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण, विभाग, (भ./स.)
संभाग जशपुर छत्तीसगढ़

विषय :- मृदा संरक्षण हेतु जमा राशि को वापस करने बावत्।
सन्दर्भ:- भारत सरकार पत्र क्रमांक F.No.FC-I/CH-27/2016-NGP/4246 date 10.09.2018

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा मृदा संरक्षण हेतु राशि 315000.00+237641.00 = 5,52,641.00 (पांच लाख बावन हजार छः सौ ईक्तालीस रुपये) वनमण्डलाधिकारी जशपुर के पी.डी. खाता में जमा किया गया है इस संबंध में भारत सरकार का पत्र क्रमांक F.No.FC-I/CH-27/2016-NGP/4246 date 10.09.2018 के निर्देशानुसार मृदा संरक्षण हेतु जमा राशि 5,52,641.00 को एड-हॉक कैम्पा मद में जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। मृदा संरक्षण हेतु जमा राशि 5,52,641.00 (पांच लाख बावन हजार छः सौ ईक्तालीस रुपये) आपकी ओर प्रेषित है।

अतः राशि 5,52,641.00 (पांच लाख बावन हजार छः सौ ईक्तालीस रुपये) को छ.ग. राज्य वेब पोर्टल बेवसाईट पर चालान उत्पन्न होने पर ई-भुगतान द्वारा कैम्पा खाता क्रमांक 15064113140422014942 के कार्पोरेशन बैंक बेंगलोर में जमा करें एवं जमा की गई मूल रसीद इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

संलग्न:- (चेक क्र. ~~689949~~ दिनांक ~~4-12-18~~)

689949

4-12-18

SAC

पृ० क्र०/ मा०चि०/2018/ 10090
प्रतिलिपि:-

वनमण्डलाधिकारी

जशपुर वनमण्डल जशपुर (छ.ग.)
जशपुर, दिनांक/ 14/11/2018

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षण सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

ET-8
5/1/19

वनमण्डलाधिकारी

जशपुर वनमण्डल जशपुर (छ.ग.)

भारत के संविधान के भाग IV-A की धारा 51(छ) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि, वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें एवं उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।